# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **06/18 (अपील)**

**GCMS No. : 2018/00347**

**अनवान्**

1. श्री जयकिशन पिता नाना जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी कुँचौली. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.............अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. भमरी पुत्री नाना जी पत्नी गोकल उर्फ बद्रु जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी झालो का खेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. फैफा पुत्री नाना जी पत्नी नाथु जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. कंकू पुत्री नाना जी पत्नी गणेश जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी बड़ियार, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. वरदीबाई पत्नी नाना जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी मावली, जिला उदयपुर (राज०)कुँचौली, तहसील
5. कनी पुत्री नाथु जी पत्नी रत्ता जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी रूपावली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
6. देऊ पुत्री नाथु जी पत्नी सवाईराम जी जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खटूकड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. गोटा पिता नाथु जी जाति गाडरी. आयु वयस्क, निवासी कुँचौली, तहसील मावली. जिला उदयपुर (राज०)
8. भगू माता सकू (पत्नी भगा जी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. नारायण माता रूपा (पिता खेमा जी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खरताणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. केसर माता रूपा (पत्नी भेरा जी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी खटूकड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज०)
11. बाबू माता रूपा (पत्नी चतरभुज जी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी नयाघर भावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. राजू माता रूपा (पत्नी मांगू जी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. मांगीलाल माता मीयाबाई (पिता रामाजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी वासनीखुर्द, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. केसर माता मीयाबाई (पत्नी मांगू जी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी वासनीकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. डाली माता मीयाबाई (पत्नी भूरा जी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. जमना माता मीयाबाई (पत्नी भुराजी) जाति गाडरी, आयु वयस्क, निवासी राणावतों की सादड़ी, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
17. सरपंच, ग्राम पंचायत फलीचडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

......................रेस्पोडेन्ट्स

**उपस्थित–1.** श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।

2. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट संख्या 6, 7, ।

## अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

### अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. फलीचड़ा, बाबत ना. सं. 66 दि. 14.12.1976

# —: : निर्णय : :—

**दिनांक : 05.03.2026**

1. अपीलाण्ट्स द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत फलीचड़ा नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 14.12.1976 मौजा कुँचौली पटवार हल्का कुँचौली जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 759, 760, 771 शा.न. 772, 773 शा.नं. 777, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782 शा.न.783, 784 785 किता 14 कुल रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोटा पिता नाथु, नाना कनी देऊ भमरी नानी पिता खेमा के नाम 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित है। आराजी नम्बर 353 रकबा 3 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में गोटा पिता नाथू कनी देऊ भमरी नानी पिता खेमा, जयकिशन, भमरी फेफा कंकु पिता नाना मु. वरदी पत्नी स्व० नाना गाडरी के नाम पर 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम अंकित है। आराजी नम्बर 359, 715, 716, 717, 728, 731, 745, 770 किता 8 कुल रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोटा पिता नाथू, कनी देऊ भमरी नानी पिता खेमा, जयकिशन, भमरी फेफा कंकु पिता नाना मु. वरदी पत्नी स्व० नाना गाडरी के नाम पर हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में गोटा पिता नाथू, कनी देऊ भमरी नानी पिता खेमा, जयकिशन, भमरी फेफा कंकु पिता नाना मु. वरदी पत्नी स्व० नाना गाडरी के नाम अंकित कृषि भूमि पूर्व में हमारे मौरूस श्री खेमा पिता पोखर गाडरी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित थी तथा श्री खेमा पिता पोखर गाडरी के देहावसान के पश्चात् उक्त वर्णित कृषि भूमि विरासत के विवादित नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 14.12.1976 से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता/पति नाना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 के पिता नाथु गाडरी एवं कंनी देऊ भमरी नानी के नाम पर रेकर्ड में दर्ज है जो मुझ अपीलान्ट् के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है।
2. यह कि मुझ अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 से 16 के सजरे अनुसार हमारे मूल पुरुष खेमा पिता पोखर गाडरी थे जिनके दो पुत्र नाथु, नाना एवं चार पुत्रीयां गंगा, सकू, रूपा, मीयाबाई हुए है। पुत्र नाथु का निधन हो चुका है जिसके वारिस कनी देऊ गोटा है। पुत्र नाना का निधन हो चुका है जिनके वारिस जयकिशन, भमरी, फेफा, कंकू

वरदीबाई है। पुत्री गंगा लाऔलाद फौत हो चुकी है। पुत्री सकू, रूपा, मीयाबाई का निधन हो चुका है। सकू के वारिस भगू है। रूपा के वारिस नारायण, केसर, बाबू, राजू है। मीयाबाई के वारिस मांगीलाल, केसर, डाली, जमना है। जो सभी इस मामले में पक्षकार है। उक्त सजरे के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार खेमा पिता पोखर गाड़ी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण उनके सभी वारिसान पुत्र नाथु, नाना के साथ खेमा की पुत्रीयों गंगा, सकू, रूपा, मीयाबाई के नाम पर हिस्सेनुसार खुलना चाहिए था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने नाथु, नाना के साथ ही नाथु की पुत्री कनी देऊ एवं नाना की पुत्री भमरी को खेमा की पुत्रीयां बताकर एवं एक नाम नानी अपनी मर्जी से जोड़कर के खेमा पिता पोखर गाडरी का विरासत का नामान्तरकरण खोल दिया है। जबकि खेमा की कनी देऊ, भमरी, नानी नाम की कोई पुत्रीयां नही है बल्कि कनी देऊ भमरी सभी खेमा जी की पौत्रीयां थी और नानी नाम की कोई महिला नही थी और न ही है। खेमाजी की जायन्दा पुत्रीयां गंगा, सकू, रूपा, मीयाबाई थी जिनके नाम पर नामान्तरकरण नही खोला गया। जो गलत है। इसके बाद पुत्र नाथु का देहावसान हो गया है जिससे विरासत के नामान्तरकरण संख्या 492 के जरिए नाथु के नाम दर्ज भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के नाम पर दर्ज कर दी गई है। पुत्र नाना का देहावसान हो गया है जिससे विरासत के नामान्तरकरण संख्या 1029 के जरिए नाना के नाम दर्ज भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज कर दी गई है। इस प्रकार उक्त भूमि के सम्बन्ध में किये गये समस्त हस्तान्तरण एवं परिवर्तन प्रारम्भ से शून्य एवं निष्प्रभावी है क्योंकि नाथु, नाना, कनी देऊ, भमरी, नानी के नाम पर जो नामान्तरकरण संख्या 66 स्वीकृत हुआ है वह प्रारम्भ से ही गलत एवं अवैद्य है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 66 से दुःखी एवं पीडित होकर उसके विरूद्ध मैं अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विरासत की जांच किये हुऐ यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो पूर्णतया एबइनिशियो वोईड है। नामान्तरकरण पास करने के पूर्व खेमा पिता पोखर गाड़ी के सभी वारिसों को सूचना नही दी है न कोई सजरा ही तस्दीक किया है। खेमा जी की जायन्दा पुत्रीयां गंगा, सकू, रूपा, मीयाबाई भी थी जिस कारण खेमा जी के हिस्से की भूमि में विरासत से सभी वारिसान का समान हिस्सेनुसार नामान्तरकरण खुलना चाहिए था लेकिन खेमा की पुत्रीयों का नाम विरासत के नामान्तरकरण में दर्ज नही कर नाथु की पुत्री कनी देऊ व नाना की पुत्री भमरी, एक अन्य महिला नानी को खेमा की पुत्रीयां बताकर नाथु, नाना के साथ विरासत के नामान्तरकरण में नाम दर्ज कर स्वीकृत करा दिया है जबकि खेमा की सम्पत्ति में

उनकी जायन्दा पुत्रीयों का भी बराबर हक व हिस्सा होकर उनके वारिसान वर्तमान में उनके हिस्सा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इसलिये खेमा के हिस्से की जमीन हिस्सेनुसार खेमा जी की पुत्रीयों के हिस्से में उनके वारिसान का नाम दर्ज होना जरूरी है। वर्तमान में राज्य सरकार भी महिलाओं के हितो के लिये समय समय पर बराबर रेवेन्यु अधिकारियों को सूचित करती रही है और इस बात का बराबर ध्यान रखने के लिये हिदायत दी गई कि खातेदार के मरने के बाद उसके सभी वारिसान को यानि पुत्र व पुत्रियों को समान रूप से नामान्तरकरण दर्ज कर पास करना चाहिए। इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खेमाजी की पुत्रियों का जानबुझकर नामान्तरकरण में नाम नही दर्ज करने एवं पुत्रियों के बजाय पौत्रियां कनी देऊ भमरी तथा नानी को पुत्रियां बताकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने की भारी भूल की है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियों का भी बराबर हिस्सा है।

4. यह कि मुझ अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 13.07.2017 को जब नकले प्राप्त की तब मुझे मालुम हुआ। इसके पहले मुझ अपीलान्ट को विवादित नामान्तरकरण की कोई जानकारी नही थी, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश का रहने वाला हूँ मुझे इसकी कानूनी जानकारी नही है। जानकारी होते ही संबंधित नकले प्राप्त कर अपील के खर्चे की व्यवस्था कर अपीलान्ट द्वारा अपने कानूनी सलाहकार नियुक्त कर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। फिर भी न्याय की दृष्टि से मयाद कन्डोन के लिये धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में निवेदन किया की अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 14.12.1976 एवं इससे हुए राजस्व रेकर्ड में समस्त प्रकार के परिवर्तनो को खारिज कर निरस्त फरमाया जावें तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि में खेमा पिता पोखर के सभी वारिसान एवं मृतक पुत्रियों के वारिसन अर्थात मुझ अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट् सं. 1 से 16 का नाम हिस्सानुसार दर्ज किये जाने हेतु आदेश बक्षाया जावें।

5. धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की दिनांक 14.12.1976 को यह इन्तकाल पास हुआ है लेकिन मुझ अपीलान्ट को इसकी कोई जानकारी नही थी, न ही मुझे इसकी कोई सूचना दी गई, न ही वारिसों की जांच की गई, न ग्राम पंचायत से कोई सजरा ही लिया गया है। इस तरह यह नामान्तरकरण वैसे भी अप्रभावी है फिर भी जब मैने नामान्तरकरण की नकल दिनांक 13.07.2018 को प्राप्त की तब जानकारी हुई की नामान्तरकरण गलत पास कर दिया गया है। इसके बाद वांछित दस्तावेज प्राप्त कर अधिवक्ता से राय मशवरा लिया एवं अपील के खर्चे की

व्यवस्था कर वकील मुकर्रर कर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही है जो अन्दर मियाद है। चूँकि मैं अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का रहने वाला होकर अनपढ हूँ इसलिये मुझे इसकी कानूनी जानकारी नही है। कथित नामान्तरकरण अवैद्य है और कानूनन अवैद्य नामान्तरकरण की अपील करने की अवधि बाधित नहीं होती है तथा अवैद्य नामान्तरकरण को कभी भी चुनौति दी जा सकती है। अपील प्रस्तुत करने में अपीलान्ट ने जानबुझकर कोई देरी नही की है व देरी का माकूल कारण है तथा न्याय के लिए देरी के समय को कन्डोन कराया जाना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया की दिनांक 14.12.1976 से अपील प्रस्तुती तक जो देरी हुई है उसे कन्डोन फरमाई जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 व 8 से 16 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यो को दौराहते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 66 दिनांक 14.12.1976 को ग्राम पंचायत फलीचड़ा द्वारा पारित किया गया है। जहॉ तक अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो प्रकरण में वर्णित भूमि उक्त नामान्तकरण से खेमा के वारिसान के नाम दर्ज हुई। अपीलाण्ट का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण पारित करने के पूर्व से खेमा के वारिसान को सुना नही गया। ना ही किसी प्रकार की सूचना दी गई। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अपीलाण्ट खेमा का वारीस नही होकर नाना का वारीस है तथा खेमा का वारीस नाना है। वर्तमान में स्वयं अपीलाण्ट के कथनानुसार नाना फौत हो चुका है। नामान्तकरण संख्या 66 से अपीलाण्ट का नाम भी दर्ज नही होना था। खेमा के वारिसान नाना, नाथू द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त नामान्तकरण पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। ऐसे में अपीलाण्ट कैसे कह सकते है कि खेमा के वारिसान को उक्त नामान्तकरण पारित करते समय सुना नही गया। ना ही इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया जिससे यह जाहीर होता हो की उक्त नामान्तरकरण पारित करते समय खेमा के वारिसान को सुना नही गया हो। साथ ही न्यायालय का यह भी अभीमत है कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील

लगभग 42 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। 42 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई भी ठोस कारण अंकित नही किया गया। प्रकरण में उक्त नामान्तकरण खेमा के निधन के पश्चात विरासत का पारित किया गया था। उसके पश्चात नाथू एवं नाना फौत हो जाने से उनके विरासत के नामान्तकरण पारित होकर उनके वारिसान के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है। न्यायालय का मानना है कि लगभग 42 वर्ष व्यतीत हो जाने तथा अपीलाण्ट के पिता के निधन के पश्चात अपीलाण्ट का नाम भी प्रकरण में वर्णित भूमि में दर्ज हो गया फिर भी उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को नही होना कैसे संभव है। न्यायालय का मानना है कि अपीलाण्ट द्वारा नामान्तकरण की अपील लगभग 42 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। ऐसे में अपीलाण्ट को 42 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण बताना होगा।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से के बारे में कही अंकित नही किया की उसका हिस्सा प्रभावित हो रहा है या नही? जबकि अन्य रेस्पोडेंट का हिस्सा प्रभावित होना बताकर अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट ने यह कहते हुए अपील प्रस्तुत की है कि कनी, देउ, नानी, भमरी के नाम गलत दर्ज हुए है, खेमा की पुत्रियां गंगा, सकू, रूपा मीयाबाई होना बताया है। अर्थात अन्य खातेदारो के हिस्सो को चुनौती देते हुए अन्य के नाम भूमि दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया है। ऐसे में न्यायालय का मानना है कि वास्तव में किसी खातेदार का हिस्सा प्रभावित होता तो वे स्वयं अपना हिस्सा क्लेम करने के लिए स्वतंत्र थे। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का एवं अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाए जाते है।

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधीनियम में देरी का कोई उचित कारण नही होने से खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट्स भी सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत फलीचड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 66 दिनांक 14.12.1976 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**( रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**उपखण्ड अधिकारी मावली**
**जिला उदयपुर**